(आपता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

दि. 09/2021

आज यह पत्रावली वादीगण द्वारा मूल वाद में प्रा-पत्र आपत्ति विहीन का प्रस्तुतीकरण पर पेशी में ली गयी प्रार्थना के निर्वहन पर मूल वाद जीत पिटीशन खारिज किया जा चुका है अतः इस प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः प्रकरण की कार्यवाही इसी जगह पर रोक दी जाकर प्रा-पत्र प्रार्थना खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा पारित अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा दिनांक 07-09-2021 को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फाईल में सुरक्षित होकर मूल वाद में लगाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:31:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner